कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक/राजस्व/12–8(1)12/570 दिनांक : 07, अप्रेल, 2016

निमित,

अधिशाषी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
परियोजना खण्ड़ रावतभाटा

विषय : अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक/17–25 दिनांक 05.04.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से वांछित जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील रावतभाटा के ग्राम भुजरकलां की वन भूमि 3.1501 है. ग्राम श्रीपुरा की वन भूमि आ.सं. 639 रकबा 9.52 है. में से 0.18 है. तथा ग्राम भैंसरोड़गढ़ पीरमगरा की 2.39 है. कुल 4.0524 है. भूमि के चम्बल भीलवाड़ा परियोजना हेतु पाईप लाईन ड़ालने, सम्पर्क सड़क एवं विद्युत आपूर्ति हेतु वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले परिक्षेत्र 5.73 हैक्टेर भूमि के संबंध में उपखण्ड़ अधिकारी, रावतभाटा एवं उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र मूल ही पत्र के संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : मूल प्रमाण पत्र मय दस्तावेज

प्रभारी अधिकारी, राजस्व
(अति. कलक्टर, प्रशासन)
चित्तौड़गढ

FORM-I

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Chittorgarh

Rev./12-8(1)12/569 Dated : 07-04-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **5.73 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Health Engineering Department, Chambal Bhilwara Project Division-I, Bhilwara for laying of pipeline, road and transmission for Chambal Bhilwara Water Supply project** in Chittorgarh district falls within jurisdiction of Bhunjarkala, Bhainsroadgarh Peermagra & Shripura **villages in Rawatbhata tehsil, Chittorgarh District**.

It is further certified that:

a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **5.73 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s); Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **Annexure 1 & 2** respectively.

b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Sub Division & Distt. Level Committee have given their consent to it; *(The consent of the concerned Gram Sabha is not required as per MoEF GOI Latter No.f.No.11-9/98-FC(pt.) dated 05-02-2013 & a5-01-2014).*

c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

7/4/2016

District Collector,
Chittorgarh

कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक / राजस्व / 12–8(1)12 / 568 दिनांक : 07 / 04 / 2016

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 07.04.2016 को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र क्रमांक / 11–9 / 98–एफसी दिनांक 03.08.2009 में दिये निर्देशानुसार जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील रावतभाटा के ग्राम भुजरकलां की वन भूमि 3.1501 है., ग्राम श्रीपुरा की वन भूमि आ.सं. 639 रकबा 9.52 है. में से 0.18 है. तथा ग्राम भैंसरोड़गढ़ पीरमगरा की 2.39 है. कुल 5.73 है. भूमि के चम्बल भीलवाड़ा परियोजना हेतु पाईप लाईन ड़ालने, सम्पर्क सड़क एवं विद्युत आपूर्ति हेतु वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले परिक्षेत्र 5.73 है. भूमि के लिए व्यपवर्तन (Diversion) किये जाने के संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, चित्तौड़गढ़ की बैठक आयोजित कर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त कुल 5.73 है. भूमि का नियमानुसार सक्षम स्तर से व्यपवर्तन (Diversion) की जाती है तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हैं। उक्त परिक्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि उपरोक्त परियोजना में व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 5.73 हैक्टेयर वन भूमि पर उसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत लम्बित अथवा अनिर्णित नहीं हैं। अधिनियम की धारा 3 (1)(e) के अनुसार आदि जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।

ग्राम स्तरीय व उपखण्ड़ स्तरीय समिति के बैठक कार्यवाही विवरण की प्रतियां संलग्न कर निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र पृथक से जारी किया जावे।

उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़	7/4/2016 जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
सपना (सपना मीना) सदस्य, जिला परिषद (मनोनीत सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार समिति)	(राजूलाल भील) सदस्य, जिला परिषद (मनोनीत सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार समिति)	गायत्री जोशी (गायत्री जोशी) सदस्य, जिला परिषद (मनोनीत सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार समिति)

कार्यालय का दूरभाष/फैक्स नं. 01475-234396
Email ID:- sdmrawatbhata@gmail.com

214(4)
8a
714

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

क्रमांक/राजस्व/वनाधि/2016/1565 दिनांक :– 07 अप्रेल 2016

–: अनापत्ति प्रमाण पत्र :–

दिनांक 07.04.2016 को वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वन अधिकार समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित कि गई।

समिति की बैठक मे चम्बल–भीलवाडा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन और 33 केवी विद्युत पावर लाईन कार्य हेतु अधिशाषी अभियन्ता चम्बल–भीलवाडा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने एवं विद्युत कार्य हेतु अनसर्वेड वन भूमि ग्राम भुंजरकला की 3.1501 है. ग्राम भैंसरोडगढ पीरमगरा की 2.39 है. एवं ग्राम श्रीपुरा की वन विभाग के नाम अंकित आराजी नं. 639 रकबा 9.52है. में से 0.18 है. इस प्रकार कुल 5.7201है. भूमि आवंटित की जावे।

उक्त प्रस्तावित वन भूमि में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्पारगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नही किया गया है एवं वर्तमान में किसी प्रकार का कोई आवास नही है और ना ही कोई आवासी क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित जन जाति अथवा परम्परागत निवासी क्षेत्र को प्रभावित करता है।

उक्त जमीन राजकीय कार्य एवं भीलवाडा चम्बल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने एवं 33 केवी विद्युत पावर लाईन कार्य हेतु कार्य मे लिया जाता है तो वनाधिकार समिति को कोई आपत्ति नही है। इस प्रकार समिति की बैठक में उक्त आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

07/04/2016
(सुबोध शिवहरे)
उपखण्ड अधिकारी,
रावतभाटा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

क्रमांक/वनाधि बैठक/2016/ 1566 दिनांक :– 07 अप्रेल 2016

–: बैठक कार्यवाही विवरण :–

दिनांक 07.04.2016 को वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वन अधिकार समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित कि गई। जिसमे निम्न अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित हुये है।

1. तहसीलदार रावतभाटा
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति भैसरोडगढ
3. क्षैत्रीय वन अधिकारी (वन्य जीव) जवाहर सागर
4. क्षैत्रीय वन अधिकारी भैंसरोडगढ
5. सहायक अभियन्ता पी.एच.ई.डी.
6. पंचायत समिति सदस्यगण

समिति की बैठक मे चम्बल–भीलवाडा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन और 33 केवी विद्युत पावर लाईन कार्य हेतु अधिशाषी अभियन्ता द्वारा चम्बल–भीलवाडा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने एवं विद्युत कार्य हेतु अनसर्वेड वन भूमि ग्राम भुंजरकला की 3.1501 है. ग्राम भैंसरोडगढ पीरमगरा की 2.39 है. एवं ग्राम श्रीपुरा की वन विभाग के नाम अंकित आराजी नं. 639 रकबा 9.52है. में से 0.18 है. इस प्रकार कुल 5.7201है. भूमि आवंटित कीये जाने हेतु निवेदन किया।

उक्त प्रस्तावित वन भूमि में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्पारगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नही किया गया है एवं वर्तमान में किसी प्रकार का कोई आवास नही है और ना ही कोई आवासी क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित जन जाति अथवा परम्परागत निवासी क्षेत्र को प्रभावित करता है।

उक्त जमीन राजकीय कार्य एवं भीलवाडा चम्बल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने एवं 33 केवी विद्युत पावर लाईन कार्य हेतु कार्य मे लिया जाता है तो वनाधिकार समिति को कोई आपत्ति नही है। इस प्रकार समिति की बैठक में उक्त आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति व्यक्त की गयी।

(सुबोध शिवहरे)
उपखण्ड अधिकारी,
रावतभाटा

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'

आज दिनांक 10.11.2014 को श्रीमान विकास अधिकारी महो
प.स. भैंसरोड़गढ़ के आदेशानुसार निर्धारित समयानुसार
चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की
पाईप लाईन बिछाने के सम्बन्ध में ग्रा.पं. भैंसरोड़गढ़
से सहमति हेतु ग्रामसभा रखी गई जिसमें निम्न
प्रस्ताव पारित किये गये।

प्रस्ताव सं. 1 :- ग्रामसभा में सर्व प्रथम पूर्व की ग्रामसभा
कार्यवाही विवरण पढ़कर सुनाया गया।

प्रस्ताव सं. 2 :- ग्रामसभा में सर्व प्रथम चम्बल-भीलवाड़ा
पेयजल परियोजना जारी पत्र को ग्रामवासियों
के समक्ष विस्तार से पढ़कर सुनाया गया जिसमें
चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परि० की पाईप लाईन
बिछाने हेतु आवश्यक वन भूमि ग्राम चरमर बाला
की 0.879 है० भैंसरोड़गढ़ पीरमगरा की 2.398
कुल 3.27 है० इसी प्रकार ग्राम भीपुरा की वन
विभाग के नाम अंकित खसरा नम्बर 634 रकबा
9.32 हेक्टर में से 0.18 हेक्टर कुल 3.458 हेक्टर
वन भूमि को डायवर्जन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत
की सहमति की आवश्यकता है। उक्त वन भूमि के
डायवर्जन की सहमति का प्रस्ताव ग्रामसभा में पारित
करवाने की व्यवस्था चाही गई साथ ही प्रस्तावित वन
भूमि पर वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आदिम
जन जाति और परम्परागत वन निवासियों को अधिकार
पत्र नहीं दिया गया और न ही कोई दावा लम्बित है
तथा आदिम जनजाति / प्रागैतिहासिक कृषक समुदाय के
हित प्रभावित नहीं होते हैं कि भी ग्रामसभा से सहमति
चाही गई है।
निर्णय :- ग्रामसभा में सभी उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा

फतराया जाना तक मद्द -चम्बल - भीलवाड़ा पेयजल - परियोजना को किसी भी प्रकार की NOC/ एवं सहमति नहीं दी जावे उक्त प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित कर पुनः एक बार सदन में पढ़कर सुनाया गया उसके पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्रामसभा समाप्ति की घोषणा सहर्ष की गई।

छायाप्रति प्रमाणित
7/10/16
ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पं. भैंसरो... चित्तौड़गढ़ (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत भैंसरोड़गढ़
पं. स. भैंसरोड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सुरेश

कार्यालय ग्रा.पं. भैंसरोडगढ़ पं.स. भैंसरोडगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (12)

ग्रामसभा

दिनांक 10-11-2014

आज दिनांक 10-11-2014 को श्रीमान विकास अधिकारी महोदय पं.स. भैंसरोडगढ़ के आदेश क्रमांक/पंचायत/2014-15/977 दिनांक 6-11-2014 की अनुपालना में ग्राम सभा का आयोजन सुश्री उर्मिला गौड़ सरपंच महोदया की अध्यक्षता में चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परि. की पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्रा.पं. भैंसरोडगढ़ से वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति का प्रस्ताव के सम्बन्ध में रखा गया है। जिसमें निम्न जन प्रतिनिधी / अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित हुऐ।

क्र.सं.	नाम	पद	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	सुश्री उर्मिला गौड़	सरपंच	9414651491	उर्मिला गौड़
2	करनी [illegible]	R.R. PHED Project Div. [illegible]	9829199019	[illegible]
3				[illegible]
4	गणपत लाल	सचिव	9530203371	[illegible]
5	[illegible]	वार्डपंच	9636190344	[illegible]
6	[illegible]	A.W.W.	9784771802	[illegible]
7	मीनाक्षी भट्ट	A.W.W.	9549985041	मीनाक्षी भट्ट
8	[illegible] देवी	ग्रामीण		[illegible] देवी
9	[illegible]			
10	चुन्नीलाल भील	ग्रामरोजगारसहायक	9799440923	[illegible]
11	[illegible]	वार्ड पंच		देउ बाई
12	[illegible]	वार्ड पंच		[illegible]
13	[illegible]	सामाजिक कार्यकर्ता		
14	रामकरण बैरवा	PHED	9602580859	[illegible]
15	[illegible]	पूर्व सरपंच	9694077414	[illegible]
16	भगवान सिंह गौड़	सामाजिक कार्यकर्ता		भैरूसिंह
17	कृष्णा देवी	वार्डपंच		कृष्णा देवी
18	सुनीता [illegible]	—		सुनीता [illegible]
19				
20	[illegible]	[illegible]		[illegible]
21	[illegible]	पटवारी	9530317794	[illegible]
22	जीत कुमारी	A.W.W.	9462719274	जीतकुमारी

(1) सर्व प्रथम ग्राम सभा मे पूर्व ग्राम सभा की कार्यवाही पढ़कर सुनाई गयी जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। | बाबूलाल

(2) ग्राम सभा मे कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग परियोजना खण्ड – रायला भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक- कअ/परि/वन/2015.16/413-16 दिनांक 22-01-2016 के अनुसार चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम की ग्राम सभा मे वन भूमि का प्रत्यावर्तन कराने के लिए प्रस्ताव किया। | बंशीलाल

चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने हेतु आवश्यक वन भूमि ग्राम गुजर कला की 1.4825 हे. एवं ग्राम श्रीपुरा की वन विभाग के नाम अंकित आराजी खसरा नम्बर 839 रकबा 9.52 हेक्टर मे से 0.18 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत की सहमति की आवश्यकता है।

(3) आज की ग्राम सभा मे इसके सम्बन्ध मे विस्तार से चर्चा की गयी कि इस भूमि पर किसी भी ग्रामीण व्यक्ति का पट्टा/व्यक्तिगत दावा नहीं है। ग्राम सभा मे चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि पूर्व मे जहाँ जल चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की लाईन बिछायी है। इस स्थान

(5) अतः आज ग्राम सभा में चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने के लिये आवंटित वन भूमि मुआवजा रूप की 1.4824 हे० एवं ग्राम खेड़िया की वन विभाग के नाम अंकित आराजी खसरा नम्बर 639 रकबा 9.50 हेक्टेयर में से 0.18 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम सभा की सहमति से प्रस्ताव लिया जाकर सर्वसम्मति अनुमोदन किया गया।

गोवर्धन

कन्हैया

लीला

किशनलाल

राधा

निशानी

नि. अजो [illegible]

नि. [illegible]

नि. बहती

नि. [illegible]

नि. [illegible]

नि. मनी

नि. चन्दा

नि. [illegible]

नि. [illegible]

ममता

गौरधनी

दुर्गा

सुनिता

21/11/2018

[illegible]

हेमा जायसवाल
सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible]पुरा
पं.स. भैंसरोडगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री

15

ग्राम सभा

30/01/2016

आज दिनांक 30/1/2016 को ग्राम पंचायत श्रीपुरा के अटल सेवा केन्द्र श्रीपुरा पर ग्राम सभा का आयोजन अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग परियोजना खण्ड-रावतभाटा के पत्र क्रमांक अ.अ./सिवि./व.शु./2015-16/5103-16 22/1/2016 एवं श्रीमान विकास अधिकारी महोदय प.स. बेगूँ [illegible] के पत्र क्रमांक 2795 दिनांक 28/1/2016 की अनुपालना में ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सरपंच ग्राम पंचायत श्रीपुरा की द्वारा की गयी। जिसमें निम्न लिखित कर्मचारी एवं अधिकारीगण उपस्थित हुये।

1 श्रीमती हेमा जायसवाल सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] — हेमाजायसवाल
2 शब्बीर मोहम्मद सचिव — शब्बीर
3 श्री महावीर जी मीणा AEN, PHED रावतभाटा — [signature]
4 श्री [illegible] जी मीणा वार्डपंच — [illegible]
5 Rakesh Rathore T. — Rakesh Rathore
6. श्रीमति मेरी टी.पी. ANM — मेरी [illegible]
7. — किरण देवर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता — A.W.W. किरण
8. — [illegible] जाट सुशीला [illegible] ग्रा.से. सहायक — [signature] सुशीला

कार्यालय ग्राम पंचायत श्रीपुरा पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़

क्रमांक : 1   दिनांक : 06-04-2016

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस ग्राम पचांयत के राजस्व ग्राम भुंजरकंला की अनसर्वेड वन भूमि में से 3.1501 है0 तथा ग्राम श्रीपुरा की वन भूमि आराजी खसरा नम्बर 639 रकबा 9.52 में से 0.18 है0 भूमि पर चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन डाला जाना तथा सम्पर्क सड़क एवं विद्युत आपूर्ति लाईन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त कार्यो से इस ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है तथा इस वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार अधिनियमों के अन्तर्गत किसी को इस ग्राम पंचायत द्वारा अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है, तथा ऐसा कोई प्रकरण लम्बित भी नहीं है।

हेमा जायसवाल
सरपंच
ग्राम पंचायत श्रीपुरा
पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़

कार्यालय का दूरभाष/फैक्स नं. 01475-234396
Email ID:- sdmrawatbhata@gmail.com

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

क्रमांक/राजस्व/वनाधि/2016/1565 दिनांक :— 07 अप्रेल 2016

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र :—

दिनांक 07.04.2016 को वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वन अधिकार समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित कि गई।

समिति की बैठक मे चम्बल—भीलवाडा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन और 33 केवी विद्युत पावर लाईन कार्य हेतु अधिशाषी अभियन्ता चम्बल—भीलवाडा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने एवं विद्युत कार्य हेतु अनसर्वेड वन भूमि ग्राम भुंजरकला की 3.1501 है. ग्राम भैंसरोडगढ पीरमगरा की 2.39 है. एवं ग्राम श्रीपुरा की वन विभाग के नाम अंकित आराजी नं. 639 रकबा 9.52है. में से 0.18 है. इस प्रकार कुल 5.7201है. भूमि आवंटित की जावे।

उक्त प्रस्तावित वन भूमि में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्पारगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नही किया गया है एवं वर्तमान में किसी प्रकार का कोई आवास नही है और ना ही कोई आवासी क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित जन जाति अथवा परम्परागत निवासी क्षेत्र को प्रभावित करता है।

उक्त जमीन राजकीय कार्य एवं भीलवाडा चम्बल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने एवं 33 केवी विद्युत पावर लाईन कार्य हेतु कार्य मे लिया जाता है तो वनाधिकार समिति को कोई आपत्ति नही है। इस प्रकार समिति की बैठक में उक्त आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

07/04/2016
(सुबोध शिवहरे)
उपखण्ड अधिकारी,
रावतभाटा

Annexure-1

FROM-1

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bhilwara

***

No- F-39-7(1)()RA)2014/1577.

Dated- 07/04/2016

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.39 hectares (43884 Sqm) of forest land proposed to be diverted in favour of Public Health Engineering Department , Chambal Bhilwara Project Division -1, Bhilwara for laying of pipeline, electrice line and road for Chambal Water Supply Project in Bhilwara district falls within jurisdiction of Gudha village in Bijoliya tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.39 hectares (43884 Sqm) of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee, Gram Sabha, Sub - division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure -1 to annexure - 4;

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram sabha has given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: AS above.

(Dr.Tina Kumar)

District Collector, Bhilwara

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/राजस्व/वनाधिकार/2016/ दिनांक 06.04.2016

उपखण्ड स्तरीय बैठक

आज दिनांक 06.04.2016 को उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति के अन्तर्गत बैठक आयोजित की गई। रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलिया के पंत्राक /राजस्व/2016/509—10 दिनांक 06.04.2016 एवं ग्राम पंचायत गुढा के ग्राम सभा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.04.2016 के अनुसार ग्राम गुढा की वन भूमि आराजी नम्बर निम्न है।

आराजी नं.	लम्बाई मीटर में	विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है
534	400	वन विभाग
533	304	वन विभाग
528	304	वन विभाग
529	140	वन विभाग
526	196	वन विभाग
519	188	वन विभाग
518	80	वन विभाग
527	456	वन विभाग
503	40	वन विभाग
500	200	वन विभाग
501	22	वन विभाग
920/501	90	वन विभाग
537	18	बिलानाम
किता 13	2438 मीटर	

चम्बल परियोजना के द्वारा कुल लम्बाई में 2438 मीटर तथा 18 मीटर चौडाई का कुल रकबा 4.39 हैक्टर है। उक्त वनभूमि/बिलानाम भूमि पर अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाती के व्यक्तियों का अतिक्रमण नहीं है।

तहसीलदार सदस्य	क्षैत्रीय वन अधिकारी सदस्य	विकास अधिकारी सदस्य	उपखण्ड अधिकारी अध्यक्ष
(रामानन्द जोशी)	(दशरथ सिंह राठौड़)	(राधेश्याम गंगवाल)	(आलोक जैन)

कार्यालय ग्राम पंचायत-राणा जी का गुढ़ा

पं.स.बिजौलियाँ जिला - भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक :- ग्रा.पं. / 2016-17 / 07 दिनांक 5/4/2016

पुoसo 01

आज दिनांक 5/4/2016 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम गुढा की वन भूमि आराजी नम्बर 500 मेसे 200 मीटर आराजी नम्बर 501 मेसे 22 मीटर आराजी नम्बर 503 मेसे 40 मीटर आराजी नम्बर 518 मेसे 80 मीटर आराजी नम्बर 527 मेसे 456 मीटर आराजी नम्बर 528 मेसे 304 मीटर आराजी नम्बर 529 मेसे 140 मीटर आराजी नम्बर 526 मेसे 196 मीटर आराजी नम्बर 533 मेसे 304 मीटर आराजी नम्बर 534 मेसे 400 मीटर आराजी नम्बर 920/501 मेसे 90 मीटर आराजी नम्बर 519 मेसे 188 मीटर बिलानाम आराजी नम्बर 537 मेसे 18 मीटर कुल किता 13 मेसे चम्बल परियोजना के द्वारा कुल लम्बाई 2438 मीटर तथा चौडाई 18 मीटर की पाईप लाईन बिछाई गयी है वनभूमि / बिलानाम भूमि मे ग्राम सभा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(हस्ताक्षर)
सरपंच
ग्राम पंचायत्त–गुढ़ा
पं. स. बिजौलियां

(हस्ताक्षर)
ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत–गुढ़ा
प. स. बिजौलियां

आज दिनांक 5/4/2016 को जिला कलेक्टर महो. भीलवाड़ा के निर्देशानुसार एवं चम्बल परियोजना अधिकारियों के निवेदन पर विकास अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में श्रीमान सरपंच साहब श्री गोपाल बैरागी की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

ग्रामसभा में निम्न अधिकारी/कर्मचारियों ने भाग लिया:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	हस्ताक्षर
1.	श्रीमान शिवजीराम मीणा	नायब तहसीलदार साहब बिजौलियां	
2.	" सुविवेक गौड़	सहायक वन संरक्षक मांडलगढ़	
3.	" दशरथसिंह राठौड़	क्षेत्रीय वन अधिकारी मांडलगढ़	
4.	" सोहनलाल रेगर	वनपाल तिलस्वां	
5.	" संजय पाराशर	पटवारी गुढा	
6.	" राजपाल सिंह	ग्राम सचिव गुढा	
7.	" गोपाललाल बैरागी	सरपंच गुढा	

प्रस्ताव संख्या 1 ग्रामसभा में ग्राम गुढा की वनभूमि में से गुजरने वाली चम्बल पेयजल परियोजना भीलवाड़ा के लिए डाली जा रही पाईपलाईन के लिए पूर्व में ग्रामसभा दिनांक 13-2-16 में 8 मी. चौड़ाई के लिए सहमति एवं अनापत्ति दी गई थी। अब परियोजना अधिकारियों ने जानकारी दी है कि बिजली विद्युत लाईन के लिए कम से कम 15 मीटर की चौड़ाई आवश्यक है। इस कारण 8 मीटर पूर्व में दी गई 8 मीटर चौड़ाई की चौड़ाई की अनुमति के स्थान पर अब कुल 18 मीटर की चौड़ाई में वन भूमि की आवश्यकता है। पाईप लाईन में आ रही वनभूमि के खसरा नं. इस प्रकार हैं- 500, 501, 503, 518, 527, 528, 529, 526, 533, 534, 920, 519 व 537।

ग्रामसभा में इस पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात ग्राम गुढा की वनभूमि में से जिसमें से पाईप लाईन गुजर रही है उसमें 8 मीटर के स्थान पर 18 मीटर की चौड़ाई में कोई अतिक्रमण/कब्जा/काश्त नहीं होने से

क्रमशः लगातार

अनुमति दिया जाना उचित है। परियोजना अधिकारी के अनुसार ग्राम गुढ़ा के कुल 13 खसरों में से 2434 मी की लम्बाई में से पाईप लाईन गुजरनी है, का प्रस्ताव सर्व-सम्मति से लिया जाता है।

महेश शर्मा — रमाशंकर जोशी — प्रमोद

महावीर सिंह — भरत कुमार

मोहन लाल माली — ओम

अनीता — कैलाश चन्द — सोनी

चंचल बैरागी — शंकर लाल — राजू

भंगीलाल भील — सीतराम कुमार

श्रवण शर्मा — मोहन

राधेश्याम
ग्राम विकास अधिकारी पदेन सचिव
ग्राम पंचायत—गुढ़ा
पं. स. बिजौलियां

सरपंच
ग्राम पंचायत—गुढ़ा
पं. स. बिजौलियां

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाडा

कमांक / वन अधिनियम / बैठक / 2016–17 /   दिनांक

बैठक कार्यवाही विवरण

वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 07.04.2016 को 11.00 बजे जिला कलक्टर महोदया की अध्यक्षता मे आयोजित की गई जिसमे निम्नांकित अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा –सदस्य सचिव
2. उप वन संरक्षक, भीलवाडा–सदस्य
3. श्रीमती सरोजना मीणा – सदस्य
4. सहायक अभियंता, भीलवाडा चम्बल परियोजना खण्ड रावतभाटा।

बैठक मे चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना की ग्राम गुढा तहसील बिजौलिया के वन क्षेत्र से गुजरने वाली पाईप लाईन, विद्युत लाईन एवं सडक के लिए प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि पर अनुसूचित जन जातियो एवं परम्परागत वन निवासियो के अधिकारो का समाधान किया जाना है।

उप खण्ड अधिकारी, बिजौलिया की अध्यक्षता मे आयोजित उप खण्ड स्तरीय बैठक के कार्यवाही विवरण दिनांक 06.04.2016 अनुसार ग्राम गुढा, तहसील बिजौलिया की वन भूमि के आराजी न. 500 मे से 200 मीटर, आराजी नम्बर 501 मे से 22 मीटर, आराजी नम्बर 503 मे से 40 मीटर, आराजी नम्बर 518 मे से 80 मीटर, आराजी नम्बर 527 मे से 456 मीटर, आराजी नम्बर 528 मे से 304 मीटर, आराजी नम्बर 529 मे से 140 मीटर, आराजी नम्बर 526 मे से 196 मीटर, आराजी नम्बर 533 मे से 304 मीटर, आराजी नम्बर 534 मे से 400 मीटर, आराजी नम्बर 920 / 501 मे से 90 मीटर, आराजी नम्बर 519 मे से 188 मीटर, बिलानाम आराजी नम्बर 537 मे से 18 मीटर, कुल किता 13 मे से चम्बल परियोजना के द्वारा कुल लम्बाई 2438 मीटर तथा चौडाई 18 मीटर में पाईप लाईन, सड़क, बिजली लाईन बिछाई गई / जानी है। उक्त भूमि वन विभाग / बिलानाम भूमि पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो का अतिक्रमण अथवा वनाधिकार का दावा लम्बित नही है। इस प्रकार पेयजल परियोजना मे आ रहे ग्राम गुढा के वन क्षेत्र मे अनुसूचित जन जातियो एवं परम्परागत वन निवासियो के क़िसी प्रकार के अधिकार निहित नही है। ग्राम गुढा तहसील बिजौलिया की ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 05.04.2016 एवं ग्राम पंचायत गुढा के पंत्राक दिनांक 05.04.2016 अनुसार ग्राम सभा मे वन भूमि से पेयजल परियोजना हेतु 2438 मीटर लम्बाई मे तथा 18 मीटर चौडी वन भूमि उपयोग की स्वीकृति दी गई है।

उपरोक्तानुसार ग्राम सभा गुढा, ग्राम पचांयत गुढा एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया की अध्यक्षता में वनाधिकार समिति बैठक दिनांक 06.04.2016 की रिपोर्ट अनुसार ग्राम गुढा के वन क्षेत्र के उपर वर्णित खसरान् कुल किता 13 की 2438 मीटर लम्बाई एवं 18 मीटर चौडाई के क्षेत्र 43884 वर्ग मीटर (4.39 है0) को चम्बल पेयजल परियोजना के पक्ष मे प्रत्यार्वतन के लिए किसी भी स्तर पर आपति नही होने से जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति व्यक्त की जाती है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Sd/

सदस्य सचिव
जिला स्तरीय समिति
(वन अधिकार अधिनियम)
भीलवाडा

क्रमांक/वनअधिनियम/बैठक/2016–17/ 12110 दिनांक 7/4/16

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद भीलवाडा।
2. प्रभारी अधिकारी वन अधिनियम जिला कलक्टर, भीलवाडा।
3. उप वन संरक्षक, भीलवाडा।
4. अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना, भीलवाडा।
5. उप खण्ड अधिकरी, बिजौलिया।
6. सदस्य .... जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, भीलबाडा
7. ग्राम पंचायत गुढा तह.बिजौलिया जिला भीलवाडा।

सदस्य सचिव
जिला स्तरीय समिति
(वन अधिकार अधिनियम)
भीलवाडा

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक : प.8–5(   )राजस्व / 2015 / 2200   दिनांक 05 .04.2016

प्रेषिति,

अधिशाषी अभियंता
प्रोजेक्ट डिविजन पीएचईडी रावतभाटा

विषयः– वन अधिकार अधिनियम,2006(अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी) की पूर्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट डिवीजन पीएचईडी रावतभाटा को उपलब्ध कराने के संबंध में।

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में पाईप लाईन ओर 33 के0वी0 विद्युत पावर लाईन कार्य में आर रही वन भूमि 1.6272 हैक्टर के संबंध में वन अधिकार अधिनियम,2006 एवं 2008(अनुसूचित जनजाति ओर परम्परागत वनवासी) की पूर्ति के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पत्र एवं जिला एवं उपखण्ड स्तर पर आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर,बून्दी

FRA

FORM-I

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bundi

No.:- 2199 Dated:- 5.4.2016

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwelleers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, It is certified that 1.6272 hectare of forest land proposed to be diverted in fovour of Project Division PHED, Rawatbhata for Construction approach road, pipeline laying and erection of 33 KV power line work in Village Lamba khoh District Bundi in the State of Rajasthan.

It is further certified that

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.6272 hectares of forest Area proposed for diversion . A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s). Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed.

(c) the proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: as above

(Neresh Kumar Thakral)
District Collector
and Disrtict Magistrate Bundi

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 05.04.2016 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध मे जिला स्तरीय समिति बून्दी की बैठक आयोजित की गई। बैठक मे अद्योलिखित सदस्यगण उपस्थित हुये :–

क्र.सं.	नाम सदस्यगण	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बून्दी	94147–64979	
2	उपवन संरक्षक, बून्दी	94147–39876	
3	श्री महेश कुमार, जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 14	95717–03655	

बैठक मे प्रोजेक्ट डिवीजन पीएचईडी, रावतभाटा को ग्राम लाम्बाखोह (पंस. तालेडा) की 1.6272 हैक्टर वन भूमि पर सम्पर्क सडक पाईप लाईन और 33 के.वी. विद्युत पावर लाईन कार्य हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत विचार किया गया।

ग्राम लाम्बाखोह की आराजी खसरा संख्या 614, 615 व 616 रकबा 1.6272 हैक्टर वन भूमि हेतु कोई दावा जिला स्तरीय समिति, बून्दी के समक्ष विचाराधीन नही है। इस क्रम मे दिनांक 05.04.2016 को उपखण्ड अधिकारी तालेडा की अध्यक्षता मे भी वन अधिकार अधिनियम के तहत बैठक आयोजित की गई, जिसका कार्यवाही विवरण भी इस बैठक मे प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय समिति, तालेडा द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन हेतु सहमति एवं अनुशंषा की गई है। अतः जिला स्तरीय समिति ग्राम लाम्बाखोह (पंस. तालेडा) जिला बून्दी की 904 मीटर लम्बाई व 18 मीटर चौडाई (15 मीटर 33 के.वी. पाईप लाईन के लिए सम्मिलित करते हुए) 1.6272 हैक्टर वन भूमि को सम्पर्क सडक पाईप लाईन ओर 33 के.वी. विद्युत पावर लाईन कार्य हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत है एवं अनुशंषा करती है।

Sd/

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज0)

क्रमांकः–
दिनांक :–

प्रतिलिपि श्री ....सदस्यगण

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज0)

FRA

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा

उपखण्ड स्तरीय बैठक

आज दिनांक 5.04.2016 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत् वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमण पत्र जारी करने के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति तालेडा क्षेत्र की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुये।

क्र.सं.	नाम सदस्यगण	हस्ताक्षर	मोबाईल नम्बर
1	उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा	[signature]	9252418235
2	विकास अधिकारी पंचायत समिति तालेड़ा	[signature]	9530303190
3	रेंजर वन क्षेत्र डाबी	[signature]	~~9829471123~~ 9414517096
4	श्री मोहनलाल गुर्जर	[signature]	7568488888
5	श्री राजमल भील	[signature]	9887292586
6	श्रीमती ममता भील	ममता	9983972178

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बून्दी के आदेश की पालना में इस बैठक का अयोजन किया गया। बैठक में सम्पर्क सडक पाईप लाईन और 33 के.वी. विद्युत पावर लाईन कार्य हेतु आ रही ग्राम लाम्बाखोह की आराजी खसरा संख्या 614, 615, 616 रकबा 1.6272 हैक्टर प्रत्यावर्तन के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत् वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं अधिनियम 2008 के अन्तर्गत कोई दावा इस उपखण्ड स्तरीय समिति तालेडा जिला बून्दी के समक्ष दर्ज एवं विचाराधीन नहीं है। अतः उपखण्ड स्तरीय समिति उक्त सम्पर्क सडक पाईप लाईन और 33 के.वी. विद्युत पावर लाईन कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत है एवं अनुशंषा करती है।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी, तालेडा
एवं अध्यक्ष, वनाधिकार
उपखण्ड स्तरीय समिति, तालेडा

FRA

कार्यालय ग्राम पंचायत लाम्बाखोह
पंचायत समिति, तालेडा जिला बून्दी

क्रमांकः– 1 **दिनांक –05/04/2016**

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम में आराजी खसरा नम्बर 614, 615, 616 वन भूमि में से चम्बल–भीलवाडा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन डाला जाना तथा सम्पर्क सडक एवं विद्युत आपूर्ति लाईन का कार्य प्रस्तावित है। जिसमें इस ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है, तथा इस वन भूमि पर अनुसूचित जन–जाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी को इस ग्राम पंचायत द्वारा अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है।

सरपंच
सरपंच, ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत लाम्बाखोह

ग्राम सेवक/पदेन सचिव
ग्राम सेवक पदन सचिव
ग्राम पंचायत लाम्बाखोह